तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
12/6/25	पत्रावली पेश हुई। आभिभाषक परिषद द्वारा भोजन गर्मी को देखते हुए न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली दिनांक 3/7/25 को पेश हो। [signature] 12/6/25	
03/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23/07/25 को पेश हो। [signature]	
23/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा0 पत्र 212 RT Act सुनी। बहस के परिपेक्ष्य मे उपलब्ध रिकार्ड एवं पेश न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Dalpat Kumar v/s prahlad singh 1992 एवं colgate polmolive (india) pvt Ltd Vs Hindustan unilever Ltd 1999 मामलो मे प्रतिपादित किया है कि धारा (212) or O39 R1&2 cpc को adjudicate करने के लिये प्रकरण निम्न तीन बिन्दुओ पर जाँचना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- अभि. प्रार्थी (जरिये वाडामित्र) ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम सिरपोई की जमाबंदी संवत 2018-22 के अनुसार साबिक ख0 [illegible] 1.54 एकड भूमि के [illegible] ख0 नं0 707 रकबा 2-1[illegible] बीघा [illegible] संवत 2018-22 मे साबिक ख0 नं0 371 [illegible] 1.54 एकड यानी 2-09 बीघा भूमि बशीधर मंदिर पूजा बावत् पुजारी भवरदास पिता मोधादास	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	बैरागी की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड थी लेकिन सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी प्राधिकार /आदेश के राजस्व रिकार्ड की मूल प्रविष्टियों को change कर मंदिर बंशीधर का नाम delete कर केवल पुजारी भंवरदास के नाम दर्ज कर दी गई थी, सेटलमेंट विभाग को मंदिर बंशीधर की भूमि को पुजारी के नाम दर्ज करने का कोई हक व अधिकार नही था। भंवरदास के फौती इंतकाल से यह किशनदास व गोविन्ददास के खाते दर्ज हुई थी जिसे बाद मे किशनदास द्वारा अप्रार्थी 1 को बेचान कर दिया है। पुजारी को मंदिर की भूमि को बेचान का कोई अधिकार नही है और इसी प्रवृति को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सन् 1991, 2007 व 2011 मे परिपत्र जारी कर सभी मंदिर मूर्ति के खाते से पुजारियों के नाम हटाने के आदेश दिये थे।	
	अतः प्रकरण प्रथम हुष्टया प्रार्थी के पक्ष मे है।	
	आधी० अप्रार्थी 1 ने आवेदन का पुरजोर विरोध करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी 1 ने वादग्रस्त भूमि खातेदार धापूबाई पुत्री किशनदास बैरागी से जरिये रजि० विक्रयपत्र दिनांक 03/6/2016 से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है [illegible] रजिस्ट्री को प्रार्थी द्वारा सक्षम [illegible] अभी तक challenge नही [illegible] है। [illegible] दोनो [illegible] खातेदार व कब्जेदार के पक्ष मे है क्योंकि [illegible] प्रथम हुष्टया अप्रार्थी के विरुद्ध T.I. जारी नही की जा सकती है।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(5)

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि संवत् 2022 से आज तक निजी खातेदारी (धापूबाई के पूर्वजों की खातेदारी) में चली आ रही है। सेटलमेंट से पूर्व क्या थी और सेटलमेंट ने कोई त्रुटि की है या नहीं - ये सब इस प्रा० पत्र में तय नहीं होकर मूलवाद में तनकी कायम कर साक्ष्य लेकर decide किया जावेगा।	
बहस उभय पक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। हाल जमाबंदी संवत् 2074-77 के अनुसार ग्राम सिरपोई की भूमि ख०नं० 707 रकबा 0.6450 hec अप्रार्थी 1 के खाते दर्ज है। पेश रजिस्ट्री दिनांक 03/06/2016 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी 1 ने यह भूमि खातेदार धापूबाई पुत्री किशनदास बैरागी से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था।	
प्रार्थी द्वारा ना तो अपने प्रा० पत्र में और ना ही बहस में यह कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी 1 का कब्जाकाश्त नहीं है और प्रार्थी का ही कब्जा है।	
अप्रार्थी क्रम 1 वर्तमान में जारिए रजिस्ट्री Recorded Khatedar tenant व कब्जा धारी है। It is well settled legal position that No Temporary injuction can be granted against a khatedar Generally. केवल विशेष परिस्थितियों जैसे Reg. sale deed, will / gift deed etc. होना, legal agreement होना, आदि में ही T.I. जारी ... Malkiyat Kaur V/s Malkiya Kaur & ... RRT 2016-17 (Supra) 637, Smt. Sheela Bagri ... Laxman & ors 2022, 2006 (2) RRT page ... Mohanlal & ors V/s Tikuram & ors, RRT 2019 (2) page 777 and DNJ 2022 (1) (Revenue) page 854	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
	ऐसे मामले में माननीय राजस्व मंडल द्वारा प्रतिपादित किया है कि " No temporary injuction generally can be granted against a recorded Khatedar."	
	प्रार्थीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत RRT 2016(1) page 678 उनवान राज्य सरकार V/s देवीनाथ में माननीय राजस्व मंडल ने प्रतिपादित किया है कि " Land was recorded in the name of Mandir Murti in Samvat 2022-25 and Name of mandir deleted & recorded the name of Somanath & Ganeshnath without order of any court — change in the entry was illegal — No right or title of the pujari over the land of mandir — Held, reference is allowed and the land be restored in the name of mandir Murti".	
	2023 (7) WLC 533 (Raj) उनवान मंदिर मूर्ति पाबूजी महाराज बनाम राजस्व मंडल व अन्य मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने प्रतिपादित किया है कि " Correction of entries in land revenue record — Land of deity a Khudkasht of it, entered in the name of pujari (priest) — Held, a pujari is simply a protector of the land of temple and to take necessary measures for its benefit ... land of deity can not be taken away ... and he can not get this land registered in ... name — Held — land be restored in the name of deity in revenue records."	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़
Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख व क्रम	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत RRT 2015(2) page 868 उनवान Tara & ors V/s state of Rajasthan & ors मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है कि "No person can acquired any right by adverse passession in land of diety."

"No right to transfer the land and all such transfers made by shebait (pujari) have to be treated as null & void."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत - विशेषतः RRT 2016(1) page 678 - के तथ्य व परिस्थितियां हस्तगत प्रकरण के सदृश्य होने से चस्पा होते हैं। वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत 2018-22 (सेटलमेंट से पूर्व) बंशीधर मंदिर पूज्य जरिये पुजारी भंवरदास पिता माधोदास बैरागी के खाते दर्ज थी लेकिन संवत 2022-23 मे सेटलमेंट विभाग का सेटलमेंट कार्य हुआ था। सेटलमेंट विभाग की जमाबंदी संवत 2022-41 मे आराजी से मंदिर बंशीधर का नाम delete कर केवल पुजारी भंवरदास पिता माधोदास बैरागी की निजी खातेदारी मे दर्ज कर दी गई। सेटलमेंट विभाग ने मंदिर बंशीधर का नाम delete करने के कारण या आधार का भी जमाबंदी मे कोई अंकन नहीं किया है। अप्रार्थी 1 व 3 ने भी कोई ऐसा document or court order or Govt order पेश नहीं किया है जिसके आधार [illegible] मंदिर मूर्ति की [illegible] पुजारी की खातेदारी मे दर्ज [illegible] अतः Record of Right मे बिना सक्षम प्राधिकार व कोर्ट आदेश के किया गया यह परिवर्तन अवैधानिक (illegal) था। मंदिर मूर्ति की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की भूमि पर पुजारी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मंदिर एक शाश्वत नाबालिग है। पुजारी केवल मात्र मंदिर के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने के लिये है। पुजारी कभी भी मंदिर का स्थान नहीं ले सकता है (RBJ (22) 2015 page 486).
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर पेश न्यायिक दृष्टांतों के सन्दर्भ में प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित है।
	(ब) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। वादग्रस्त भूमि मूलतः (सेटलमेंट से पूर्व) मंदिर बंशीधर के खाते दर्ज थी लेकिन सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी court's order or Govt order के इसे पुजारी भंवरदास के खाते दर्ज कर दिया था जबकि मंदिर मूर्ति की भूमि पर पुजारी को खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। भंवरदास के बाद यह विरासत में पुत्र गोविन्ददास व किशनदास बैरागी के खाते दर्ज हुई थी (नामा. क्र. 34) फिर सम्वत धापूबाई बैरागी के खाते दर्ज हुई जिसने फिर जरिए रजिस्ट्री अप्रार्थी 1 को बेचान की थी लेकिन मंदिर मूर्ति की भूमि को भंवरदास के खाते दर्ज करना ही प्रारम्भ से अवैधानिक व प्रभावशून्य होने से all further transfers made by the [illegible] heirs have to be treated as null & void.
	[illegible] मूर्ति के प्रति अपने कर्तव्यों (duties) का निर्वहन नहीं कर, गलत रूप से मंदिर की भूमि अपने नाम करा कर गलत रूप से कब्जा करना भी अवैधानिक है अतः ऐसी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
नाबालिग मंदिर मूर्ति को अधिक असुविधा उत्पन्न हुई है। अतः प्रकरण में स्थगन जारी करने पर प्रार्थी-मंदिर मूर्ति को अधिक सुविधा होगी। परिणामतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है।	

(स) अपूरणीय क्षति :- पुजारी भंवरदास पुत्र माधो बैरागी ने settlement Department से बावजूद अप्रार्थी prima facie बिना सक्षम आदेश के अपने नाम दर्ज करा कर ना केवल नाबालिग मंदिर मूर्ति को संपत्ति से वंचित किया था बल्कि अपने कर्तव्यों के विरुद्ध कार्य किया मंदिर की भूमि से मंदिर के हक व अधिकारों का संरक्षण व विकास नहीं करके निजी हकों का संरक्षण व विकास किया है। आगे इसके वारिसान ने भूमि का बेचान कर मंदिर को खातेदारी अधिकारों से वंचित कर अपूरणीय क्षति कारित की जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु यह court मौद्रिक मुआवजे की तुलना में Temporary injunction जारी कर हकों का संरक्षण आवश्यक समझता है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी 1 से 3 Un को ~~जरिये~~ ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि ग्राम सिरपोई तहसील [illegible] ख० नं० 707 रकबा 2-09 [illegible] की यथास्थिति बनाये रखे / कोई [illegible] एवं नकारात्मक कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner